राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामनिवास बनाम अवधेश 156/2023, 369/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित काउन्टर क्लेम एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 156/2023 एवं 369/2023 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/04/2026 को पेश हो		
13/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	मंक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ख़ारिज करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/12/2022 पारित करते हुये तहसीलदार कोटपुतली को आर्बी ट्रेटर नियुक्त किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 757/0.07, 758/2.13 हैक्टेयर वाके ग्राम फतेहपुराकलां तहसील कोटपूतली के मौके पर जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान का मौके एवं रिकार्ड अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर काउन्टर क्लेम एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/12/2022 के विरुद्ध पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 156/2023 एवं 369/2023 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	चूँकि दोनों अपीले एक ही वाद में पारित काउन्टर क्लेम एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है	अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है	निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विवेचित कर जो अपीलाधीन निर्णय/डिक्री पारित किये गये है, उसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है	ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है		

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामनिवास बनाम अवधेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/डिक्री दिनांक 16/12/2022 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 156/2023 एवं 369/2023 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	